झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
संख्या-03

प्रथम सत्र

गुरूवार, दिनांक-08 जनवरी, 2015 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.10 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण:-

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा सचिव द्वारा नाम पुकारे जाने के उपरांत माननीय सदस्य श्री चमरा लिण्डा, विशुनपुर (69) द्वारा हिन्दी में शपथ लिया गया।

2. राज्यपाल महोदय का संदेश:-

राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश- **"भारत के संविधान के अनुच्छेद-176 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ० सैयद अहमद, झारखण्ड का राज्यपाल इसके द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक-08 जनवरी, 2015 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में सम्बोधित करना चाहता हूँ और इस हेतु लेनिन हॉल, एच.ई.सी., राँची स्थित झारखण्ड विधान-सभा वेश्म में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ"** से माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया। उन्होंने माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि माननीय राज्यपाल महोदय की सदन में उपस्थिति के दौरान सभी माननीय सदस्य अपनी सीट पर विराजमान रहकर अभिभाषण को शालीनतापूर्वक सुनेंगे एवं शांति बनाये रखेंगे तदुपरांत माननीय राज्यपाल महोदय की अगवानी हेतु प्रस्थान किये। कुछ क्षणों के पश्चात् राज्यपाल महोदय का सदन में आगमन हुआ।

(राष्ट्रीय धुन का वादन)

राज्यपाल महोदय एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा आसन ग्रहण किये गये।

3. माननीय राज्यपाल का अभिभाषण:-

सभा सचिव द्वारा अभिभाषण प्रारम्भ करने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया गया।

(शोरगुल)

माननीय राज्यपाल द्वारा अभिभाषण पढ़ा गया। अभिभाषण समाप्त होने के उपरांत सभा सचिव द्वारा इसके समापन की सूचना दी गयी।

(राष्ट्रीय धुन का वादन)

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्यपाल महोदय को सदन से विदा करने के पश्चात् आसन ग्रहण किया गया।

क्र० पृ० ३०

आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री स्टीफन मराण्डी द्वारा दुमका में झारखण्ड उच्च-न्यायालय के खण्डपीठ की स्थापना किये जाने सम्बन्धी अनुरोध किया गया। संसदीय कार्य मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने इससे सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव रखा कि दुमका में झारखण्ड उच्च न्यायालय के खण्डपीठ की स्थापना हो। आसन द्वारा घोषणा की गयी कि यह प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं दुमका में झारखण्ड उच्च न्यायालय के खण्डपीठ की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया जाय।

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज दिनांक-08.01.2015 के 3.00 बजे अप० तक माननीय सदस्य संशोधन सभा सचिव को दे सकेंगे।

4.विविध चर्चायें:-

i- सिल्ली विधान सभा क्षेत्र में लागातार हो रही हत्याओं की ओर माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस पर रोक लगाने तथा दोषियों को गिरफ्तार किये जाने की माँग करते हुए इसकी जाँच सी०बी०आई० से कराने हेतु अनुरोध किया।

ii-माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा सिल्ली विधान सभा क्षेत्र में उनके कार्यकर्त्ताओं की हो रही हत्याओं के सम्बन्ध में विस्तार से आसन को अवगत कराते हुए नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया। संसदीय कार्यमंत्री द्वारा इसे संज्ञान में लिया गया,

iii-चंदनकियारी विधान सभा क्षेत्र के कोलियरी एरिया में मिथेन गैस के हो रहे रिसाव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसपर काबू पाये जाने के निमित्त आवश्यक कदम हेतु माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा अनुरोध किया गया,

iv- उत्तरी छोटानागपुर में भारी बिजली संकट से उबरने हेतु डी.वी.सी. के मामलों को निपटाये जाने की ओर माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

5.औपचारिक कार्य:-

आसन की अनुमति से सभा सचिव द्वारा तृतीय झारखण्ड विधान सभा के चतुर्दश (मानसून) सत्र में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयकों की निम्न विवरणी सभा पटल पर रखी गयी-

क्रमांक	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2014	11.08.2014	05/2014
2.	झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014	15.09.2014	06/2014
3.	झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2014	24.09.2014	07/2014
4.	झारखण्ड सम्पत्ति विरुपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014	16.10.2014	08/2014
5.	झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 2014	21.10.2014	09/2014
6.	झारखण्ड जल संसाधन नियामक प्राधिकार विधेयक, 2014	21.10.2014	10/2014

क्र० पृ०३०

6.वित्तीय कार्य:-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा वित्तीय वर्ष- 2014-15 के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी सभा पटल पर उपस्थापित की गयी जिसपर कटौती प्रस्ताव आज दिनांक-08.01.2015 को 3.00 बजे अप० तक दिये जाने की सूचना माननीय सदस्यों को आसन द्वारा दी गयी।

7. अध्यक्षीय घोषणा:-

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्राप्त पत्र के आलोक में प्रमुख विपक्षी दल के माननीय सदस्य, श्री हेमन्त सोरेन को नेता, प्रतिपक्ष की मान्यता दिनांक- 07 जनवरी, 2015 के प्रभाव से झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष के स्थायी आदेश के तहत नियम 315 (2) के अनुसरण में प्रदान किये जाने सम्बन्धी आसन से घोषणा की गयी।

सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक- 09.01.2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 08 जनवरी, 2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।